मॉडल विज्ञप्ति

आवेदन की अंतिम तिथि 4.9.2013

कार्यालय जिला परिषद ....

विज्ञापन संख्या   दिनांकः

विज्ञप्ति

तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2013

1. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला परिषद ....द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक के .... **पदों** पर सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2013 के लिये निर्धारित ऑन लाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते है।

विशेष नोट :– I. Online Application Form में वांछित समस्त सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जावेगा। ऑन लाईन आवेदन के पश्चात उस आवेदन के क्रम में आवेदित पद एवं आवेदित श्रेणी मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अनुज्ञेय नही होगा।

II . विज्ञापित पदों में कमी या बढोतरी की जा सकती है, जिसके लिये अलग से विज्ञप्ति जारी नहीं की जावेगी।

III आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशो एवं नवीनतम नियमो के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

IV बिन्दु सं0 7 (1) (ख) एवं 7 (2) (ख) के क्रम में 60 प्रतिशत से कम प्राप्तांक वाले राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता राजस्थान सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एसएलपी 23508–23513/2013 राजस्थान राज्य बनाम विकास कुमार अग्रवाल व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

2. **आवेदन प्रकिया** आवेदन Online Application Form में लिये जायेंगे, जिन्हे राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रूपये 30/– (रूपये 20/– आवेदन पत्र भरने हेतु + रूपये 10/– परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना चाहता है, तो वह ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर केवल परीक्षा शुल्क जमा करा कर www.examtgt.rajasthan.gov.in वेबसाईट से स्वयं आवेदन भर सकता है। इस स्थिति में उसे वहा परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु मात्र रूपये 10/– ही सेवा शुल्क देना होगा। ऑनलाईन आवेदन पत्रो को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है। कियोस्क द्वारा आवेदन भरवाने पर आवेदक को रूपये 20/– की रसीद पृथक से कटवानी होगी। **हाथ से भरे गये आवेदन पत्र किसी भी रूप में जिला परिषद द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**

3. **एक से अधिक स्तर के पदो के लिये आवेदन**:– यदि कोई अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी अध्यापक के प्रथम स्तर कक्षा I-V एवं द्वितीय स्तर कक्षा VI-VIII के लिए निर्धारित योग्यता धारित करता है तथा दोनो स्तरो के लिये आवेदन करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक स्तर के पद हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क पृथक पृथक जमा कराना होगा तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र भी पृथक पृथक भरने होंगे तथा आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर दोनो स्तरो के पदो का उल्लेख करना होगा।

नोट :

I अभ्यर्थी आवश्यक रूप से अपना आवेदन पत्र क्रमांक नोट करले, ताकि आवेदन संबंधी सूचना प्राप्त करने में सुविधा हो।

II यदि कोई अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र क्रमांक भूल गया है, तो वेबसाईट पर अपना टोंकन नम्बर और जन्मतिथि भरकर आवेदन पत्र क्रमांक की जानकारी कर सकता है।

4. **<u>प्रवेश पत्र</u>** जिला परिषद द्वारा समस्त आवेदकों को वेबसाईट के माध्यम से ही ऑनलाईन डाउनलोड करने हेतु प्रवेश पत्र जारी किये जावेंगे और जिला परिषद द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा। वेबसाईट पर प्रवेश पत्र जारी किये जाने की सूचना परीक्षा की तिथि तय होने के उपरांत समाचार पत्रो एवं वेबसाईट के माध्यम से शीघ्र जारी की जावेगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र वेबसाईट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) पर फीस जमा कराने का टोकन नम्बर ध्यान में रखे। उपलब्ध संसाधनो एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश पत्र संबंधी सूचना अभ्यर्थी के ईमेल आई डी (email ID) अथवा मोबाईल नम्बर पर संदेश से (S.M.S) भेजी जावेगी। संदेश (S.M.S)से प्राप्त रोल नम्बर एवं परीक्षा केन्द्र हेतु प्रवेश पत्र वेबसाईट से डाउनलोड करे। यह सूचना अधिकृत वेबसाईट पर ही उपलब्ध रहेगी। आवेदक अपने नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि या ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा अधिकृत वेबसाईट से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकता है। **<u>परीक्षा के लिये कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा डाक से नहीं भेजा जावेगा।</u>**

5. **<u>परीक्षा शुल्क</u>** आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क/ जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से जमा करायेंगे।

क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग तथा राज्य से बाहर के सभी श्रेणियों के आवेदक हेतु रूपये 500/– (अक्षरे रूपये पांच सौ रूपये मात्र)

ख) राजस्थान के नोन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के आवेदक हेतु रूपये 350/– (अक्षरे रूपये तीन सौ पचास मात्र)।

ग) समस्त निःशक्त जन एवं राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/टी.एस.पी एरिया के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा बांरा जिले के सहरिया जनजाति के आवेदक हेतु रूपये 250/– (अक्षरे रूपये दो सौ पचास मात्र)।

घ) ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 4.9.2013 है परन्तु आवेदक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से दो दिन पूर्व अर्थात दिनांक 2.9.2013 तक सायं 6 बजे तक ही परीक्षा शुल्क जमा करवा सकेंगे। दिनांक 2.9.2013 को निर्धारित समय के बाद शुल्क जमा कराने की सुविधा उपलब्ध नही होगी।

<u>नोट :</u>

I आवेदक द्वारा प्रथम एवं द्वितीय दोनो स्तरो की परीक्षा हेतु आवेदन करने की स्थिति में दोनो स्तरो की परीक्षा हेतु श्रेणी अनुसार नियत शुल्क ई–मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) पर पृथक पृथक जमा कराना होगा तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र भी पृथक पृथक भरने होंगे।

II प्रत्येक ऑनलाईन आवेदन का निर्धारित सेवा शुल्क रूपये 30/– (रूपये 20/– आवेदन पत्र भरने हेतु + रूपये 10/– परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) की राशि अतिरिक्त रूप से सभी को देनी होंगी।

III ऑनलाईन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाईट www.examtgt.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करले और उसे ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व हाथ से भरले। यह प्रारूप ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध होगा।

IV आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियो का प्रिन्टआउट लेकर आश्वस्त हो लेवे कि सभी प्रविष्टियां सही सही भरी गई है। जो अभ्यर्थी दृष्टिदोष/कम दृष्टि श्रेणी में आवेदन कर रहे है, उन्हें आवेदन पत्र के साथ इस आशय का सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा कि ऑनलाईन भरे गये आवेदन को उन्होंने पूर्णरूप से सही सही सुन एवं समझ लिया है। एतदर्थ पुष्टि स्वरूप ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिंट लेकर उस पर अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार के हस्ताक्षर (मय नाम व पता) करवाकर ई–मित्र/सीएससी के संचालक को जमा करायेंगे।

V आवेदको की सुविधा के लिये राज्य के समस्त ई–मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) की सूची वेबसाईट www.examtgt.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

VI राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थी, जहां ई–मित्र तथा जनसुविधा केन्द्र (C.S.C.) नहीं है, वे वेबसाईट www.examtgt.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूची के अनुसार उनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर परीक्षा शुल्क जमा करा सकते है। सुविधा के लिये उनके दूरभाष नम्बर भी वेबसाईट पर उपलब्ध है।

6. तृतीय श्रेणी अध्यापको के रिक्त पदों का विवरण :– (संलग्न)

नोट :–

I निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिको एवं उत्कृष्ट खिलाडियों के पदो का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) होगा। भूतपूर्व सैनिको के लिये 12.5 प्रतिशत, निःशक्त जन के लिये 3 प्रतिशत एवं उत्कृष्ट खिलाडियों के लिये 2 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे।

II राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.06.2013 के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के स्थानीय निवासियो के लिये आरक्षित 45 प्रतिशत एंव अनुसूचित जाति के स्थानीय निवासियो के लिये आरक्षित 5 प्रतिशत रिक्तियो के अतिरिक्त शेष 50 प्रतिशत रिक्तिया अनारक्षित पद मानते हुये स्थानीय निवासियो से भरी जायेगी। संबंधित जिले के टीएसपी क्षेत्र के पात्र जनजाति अभ्यर्थी (ST-TSP AREA) उपलब्ध नही होने पर राजस्थान राज्य के अन्य जिलो के अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) के पात्र जनजाति अभ्यर्थी (ST-TSP AREA) से भरे जा सकेंगे।

III राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 21.05.13 के अनुसार बारां जिले की सहरिया आदिम जाति हेतु आरक्षित पद स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।

7. शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक (न्यूनतम) योग्यता :–

(1) प्रथम स्तर कक्षा I–V

(क) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो)

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो) जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (B.El.Ed.)

अथवा

स्नातक तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

और

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिये जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (आर.टी.ई.टी) में उत्तीर्ण।

(2) द्वितीय स्तर– कक्षा VI-VIII

(क) स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक (बी.एड.)

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड) जो इस संबंध में समय समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता,मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (B.El.Ed.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए./बी.एस.सी एड. या बी.ए.एड./बी.एससी.एड.

और

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिये जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (आर.टी.ई.टी) में उत्तीर्ण।

(3) <u>केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) द्वारा मान्यता –प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा।</u>

(4) (क) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्डपीठ द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 20.5.2011 के क्रम में स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान के पत्रांक एफ 7(1)ई.ई/प्लान/2011 दिनांक 17 जून 2011 के अनुसार निम्न अभ्यर्थी भी तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2013 में भाग लेने हेतु पात्र होंगे–

(i) ऐसे सभी अभ्यार्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 27.9.07 जारी होने से पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है , उन्हें स्नातक स्तर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त होने की बाध्यता नही है।

(ii) ऐसे सभी अभ्यार्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 27.9.07 जारी होने के बाद परन्तु अधिसूचना दिनांक 31.8.09 के जारी होने से पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया था , उन्हें स्नातक स्तर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्त होने की बाध्यता है।

(iii) ऐसे सभी अभ्यार्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 31.8.09 के जारी होने के बाद शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया था , उन्हें स्नातक स्तर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्त होने की बाध्यता है।

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 27.11.2007 द्वारा जारी मानक एवं मानदण्डों के द्वारा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (कक्षा 1 से 5) के पदों पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं दिनांक 27.11.2007 से पूर्व न्यूनतम 45 प्रतिशत अकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) शैक्षिक अर्हता निर्धारित है।

(5) बिन्दु सं0 7 (1) व (2) में वर्णित योग्यता मापदण्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग/निःशक्तजन के अर्हक अंकों में नियमानुसार 5 प्रतिशत की छूट देय होगी।

(6) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होने जम्मू एवं कश्मीर से शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया है, वे भी राजस्थान राज्य के अन्य अभ्यार्थियों के समान ही पात्र होंगे।

(7) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक को शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की अर्हताये अर्जित कर ली गई हो।

(8) बिन्दु सं0 7 (1) (ख) एवं 7 (2) (ख) के क्रम में 60 प्रतिशत से कम प्राप्तांक वाले राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता राजस्थान सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एसएलपी 23508–23513/2013 राजस्थान राज्य बनाम विकास कुमार अग्रवाल व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

8. आरक्षण

(i) उपरोक्त पदों में अ0जा0/अ0ज0जा0/नॉन क्रिमीलेयर अ0पि0व0/नॉन क्रिमीलेयर वि.पि.व./निःशक्तजन/भूतपूर्व सैनिकों/उत्कृष्ठ खिलाडियो/महिलाओं (विधवा एवं विवाह विच्छिन्न महिलाओ सहित) तथा अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों व बारां जिले के सहरिया आदिम जाति का नियमानुसार आरक्षण होगा। राजस्थान के अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के क्रीमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं है। ऐसी स्थिति में अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के क्रीमिलेयर श्रेणी के आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडी जाति/विशेष पिछडा वर्ग के सभी आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकते हैं।

स्पष्टीकरणः–(अ) विज्ञापित पदों में राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.1.2013 के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को आगामी तीन भर्ती वर्षो के लिये अग्रणित किया जायेगा। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नही की जाती है तो ऐसे वर्षो को उक्त तीन वर्ष की अवधि में सगणित नही किया जायेगा।

(ब) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.06.2013 के अनुसार दर्शाये गये अनुसूचित क्षेत्रों (TSP AREA) के आरक्षित पद संबंधित जिले के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय अभ्यार्थियों से भरे जावेंगे। उक्त अधिसूचना के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के स्थानीय निवासियो के लिये आरक्षित 45 प्रतिशत एंव अनुसूचित जाति के स्थानीय निवासियो के लिये आरक्षित 5 प्रतिशत रिक्तियो के अतिरिक्त शेष 50 प्रतिशत रिक्तिया अनारक्षित पद मानते हुये स्थानीय निवासियो से भरी जायेगी। संबंधित जिले के टीएसपी क्षेत्र के पात्र जनजाति अभ्यर्थी (ST-TSP AREA) उपलब्ध नही होने

पर राजस्थान राज्य के अन्य जिलो के अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) के पात्र जनजाति अभ्यर्थी (ST-TSP AREA) से भरे जा सकेंगे।

(स) क्रिमीलेयर में नही होने संबंधित प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिये मान्य होगा। एकबार क्रिमीलेयर में नही होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नही है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावें, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है अर्थात् क्रिमीलेयर में नही होने बाबत जारी ओबीसी प्रमाण पत्र को जारी होने की तिथी से 3 वर्ष (अधिकतम) तक मान्यता दी जा सकती है।

(ii) तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में 12.5 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिये तथा 2.00 प्रतिशत पद उत्कृष्ट् खिलाड़ियों के लिये आरक्षित रहेगें। ये आरक्षण दण्ड़वत होगा एवं वर्गानुसार पद भरे जायेंगें।

स्पष्टीकरणः–(क)भूतपूर्व सैनिक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारत संघ की नियमित थलसेना, जलसेना, वायुसेना के किसी भी रैंक में, योद्धक या योद्धक–भिन्न के रूप में सेवा की हो और (अ) जो ऐसी सेवा से पेंशन उपार्जित करके सेवानिवृत हुआ हो, या (ब) जो ऐसी सेवा से चिकित्सीय आधारो पर, जो ऐसी सेवा के लिये निर्धारित हो या उन परिस्थितियों के कारण, जो उसके नियंत्रण से परे हो, सेवा से निर्मुक्त किया गया हो और जिसे चिकित्सीय या अन्य नियोग्यता पेंशन प्रदान की गयी हो, या (स) जो अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा संस्थापन में कटौती के परिणामस्वरूप उक्त सेवा से निर्मुक्त किया गया, या जो अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा नियुक्ति की विनिर्दिष्ट कालावधि पूर्ण करने के पश्चात या कदाचार अथवा अदक्षता के कारण पदच्युति भी सेवोन्मुक्ति के कारण उक्त सेवा से निर्मुक्त हुआ हो और जिसे सेवानिवृति उपादान दिये गये हो, और इसमें प्रादेशिक थल सेना के लगातार इम्बाडिड (Embodied) सेवा के पेंशनधारक, सैन्य सेवा के लिये निर्धारित निर्योग्यता वाले व्यक्ति, वीरता पुरस्कार विजेता प्रवर्गो के कार्मिक भी सम्मिलित है।

(ख) ''उत्कृष्ट खिलाड़ियों'' से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाडी जिन्होंनेः– (अ) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो, या

(ब) इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो, या

(स) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, या

(द) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिशः स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

(iii) निःशक्त व्यक्तियों के लिये :–

(अ) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का सरक्षंण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के अनुसार निशक्त अभ्यार्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

(ब) निःशक्तजन के लिये दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण भी दण्डवत रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/वि.पि.व/सामान्य वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा।

(स) निःशक्तजन आवेदक ऑनलाईन आवेदन पत्र में यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

(द) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के संबंध में राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का सरक्षंण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के नियमानुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडीकल बोर्ड (राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का सरक्षंण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के अनुसार मेडीकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जावेगा।

(य) निःशक्तजन के आरक्षित पदो के लिये पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का

सरक्षंण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के अनुसार भरा जावेगा। निःशक्तजन के उक्त नियम के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता हो, वहां ऐसी रिक्ति को अग्रणीत किया जावेगा।

(iv) राजस्थान की अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/विशेष पिछडा वर्ग (SBC) (नॉन क्रीमीलेयर) के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य वर्ग से भरा जावेगा।

(v) विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण दण्ड़वत (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (Categorywise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जावेगा।

स्पष्टीकरण अ). किसी वर्ग (सामान्य/अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0 एवं वि.पि.व (नॉन क्रीमीलेयर)) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जावेगा। अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग केटेगरी में आवेदन करने वाली विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अ0पि0वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग का नोन क्रिमीलेयर का नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

ब). महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाये गये पदो में से नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत पद परित्यक्ता (विछिन्न विवाह महिला) के लिये आरक्षित है। किसी वर्ग (सामान्य/अ.जा/अ.ज.जा/अपिव/विपिव) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा/परित्यक्ता महिला (विछिन्न विवाह महिला) अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की/में वरियता प्राप्त अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

स) मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओ के मामले में न्यायालय की तलाक की डिक्री के अलावा तलाकनामा जारी करने हेतु अधिकृत काजी द्वारा जारी तलाकनामा भी मान्य होगा परन्तु इस बाबत् महिला को समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जो उनके तलाक को प्रमाणित करें एवं साथ ही महिला स्वयं को भी इस संबंध में स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(vi) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के आरक्षित पद केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियो, जो राजस्थान राज्य के स्थाई निवासी है, से ही भरे जावेंगे। राजस्थान राज्य के स्थाई निवासी नहीं होने पर आवेदक को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।

(vii) विज्ञापित पदों में राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.1.2013 के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को आगामी तीन भर्ती वर्षो के लिये अग्रणित किया जायेगा। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नही की जाती है तो ऐसे वर्षो को उक्त तीन वर्ष की अवधि में सगणित नही किया जायेगा।

(viii) राजस्थान के अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग, भूतपूर्व सैनिको एवं उत्कृष्ट खिलाडियों के लिये आरक्षित पदो हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा।

(ix) राजस्थान के अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग की क्रीमिलेयर श्रेणी के अभ्यार्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग (क्रीमिलेयर एवं नॉन क्रीमिलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

9. वेतनमान :—

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन)नियम 2008 के नियम 21 की अनुसूची iv के अनुसार परीवीक्षा काल में नियत पारिश्रमिक **रू0 10000/—** देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधाये एवं अवकाश आदि राजस्थान पंचायती राज नियम एवं राजस्थान सेवा नियमो में निहित संशोधित प्रावधानो के अनुसार देय होंगे। दो वर्ष के परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का नियमानुसार वेतनमान् **9300—34800 ग्रेड पे**

रूपये 3600 वेतन देय होगा। दिनांक 01.01..2004 से नई भर्ती/नियुक्ति होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

10. आयु :–

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 265 के अनुसार आयु की दृष्टि से वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसकी आयु दिनांक 01.01.2014 को 18 वर्ष से अन्यून हो तथा 35 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया होना चाहिये।

निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यार्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट देय है:–

1. राजस्थान राज्य के अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व./वि.पि.व. के पुरूष अभ्यर्थी या सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिये ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट।
2. राजस्थान राज्य की अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व./वि.पि.व के महिला अभ्यार्थी के लिये ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट।
3. भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
4. पंचायतों के सचिवों के रूप में पहले से कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा, तीन वर्षों की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, पंचायत सचिव के रूप में की गयी सेवा की कालावधि तक शिथिलनीय होगी।
5. विधवाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
   स्पष्टीकरण : उसे विधवा होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा और तलाकशुदा होने के मामले में नियमानुकूल तलाक का सबूत देना होगा।
6. जो व्यक्ति किसी पंचायत समिति या किसी जिला परिषद के अधीन अपनी अस्थायी नियुक्ति के समय विहित आयु सीमा के भीतर थे, उनके लिए उपरी आयु सीमा, पंचायत समिति या जिला परिषद के अधीन उनके द्वारा की गयी सेवा की कालावधि तक शिथिलनीय होगी।
7. ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में जो उसकी दोषसिद्धि से पूर्व किसी भी पद पर अधिष्ठायी आधार पर पंचायत समिति व जिला परिषद के अधीन सेवा कर चुका है और इन नियमों के अधीन वह नियुक्ति का पात्र हो उस पर ऊपरी आयु सीमा लागू नहीं होगी।
8. ऐसे भूतपूर्व कैदी जो अपनी दोषसिद्धि से पूर्व अधिक आयु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था, कारावास की अवधि के बाबत कालावधि तक शिथिलन देय है।
9. नियम 259 के उपनियम 5 ख के अधीन हैण्डपम्प मिस्त्रियो के रूप में नियुक्त व्यक्तियो के लिये कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी। बशर्ते ऐसे व्यक्तियों ने अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त नहीं की है।
10. राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का सरक्षंण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के नियम 39 के प्रावधानों के अनुसार सामान्य वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग तथा एस.सी./एस.टी. के विकलांग अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में क्रमशः 10, 13 व 15 वर्ष की छूट देय है।
    नोट :– उपरोक्त पैरा के प्रावधान 1 से 10 तक पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान Non comulitive है, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानो को जोडकर छूट का लाभ देय नहीं होगा।

11. नियुक्ति हेतु निरर्हता

(i) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 1.6.2002 को या इसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक संतानो वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके संतानो की संख्या में बढोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं, वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जावेगा।

(ii) कोई भी पुरूष अभ्यार्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियॉ हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नही होगा जब तक कि सरकार, इस बात का समाधान करने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यार्थी को छूट देय नही है।

(iii) कोई भी महिला अभ्यार्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से ही कोई पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नही होगी जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अभ्यार्थी को छूट देय नहीं है।

(iv) राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अध्याय 12 भर्ती एवं अन्य शर्तो के नियम 256 में वर्णनानुसार नियोजन के लिये अपात्र व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जायेगा।

12. आवेदन पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांकः ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम दिनांक 4.9.2013 को रात्रि 12.00 बजे तक है परन्तु आवेदक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से दो

दिन पूर्व अर्थात दिनांक 2.9.2013 को सायं 6 बजे तक ही परीक्षा शुल्क जमा करवा सकेंगे। दिनांक 4.9.2013 को रात्रि 12.00 बजे के उपरांत ऑनलाईन लिंक निष्क्रिय हो जायेगा। आवेदको को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किये बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें।

13. परीक्षा का माह एवं दिनांक

प्रथम स्तर कक्षा I-V एवं द्वितीय स्तर कक्षा VI-VIII के तृतीय श्रेणी अध्यापको की सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा निर्धारित तिथि को दोनो स्तरो के लिये एक ही दिन में दो अलग–अलग पारियो में जिला मुख्यालय/तहसील मुख्यालय पर आयोजित की जायेगी। प्रतियोगी परीक्षा माह अक्टूबर 2013 में आयोजित किये जाने की सम्भावना है।

14. तृतीय श्रेणी अध्यापक की सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम :–

परीक्षा बहुविकल्पात्मक (ऑब्जेक्टिव टाईप) प्रश्न पत्र पर आधारित होगी। परीक्षा के पूर्णांक 200 होगे तथा परीक्षावधि **2 घण्टे** की होगी। इस प्रतियोगी परीक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जावेगें। पूछे गये प्रश्नों के उत्तर नीले/काले बाल प्वाईंट पेन से निर्धारित ओ0एम0आर0शीट में अभ्यर्थी द्वारा मार्क किये जायेंगे। उत्तरो के मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये प्रश्न का एक तिहाई अंक काटा जावेगा। गलत उत्तर से असत्य उत्तर या बहुविकल्प उत्तर अभिप्रेत है।

(क) प्रथम स्तर– कक्षा I-V

प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय होगें और उनके सामने दर्शित अंकों के होंगे :–

(i) राजस्थान के प्रति विशेष संदर्भ से सामान्य ज्ञान और सामयिक विषय–	60 अंक
(ii) राजस्थान का भौगोलिक,ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान–	60 अंक
(iii) शैक्षणिक मनोविज्ञान–	07 अंक
(iv) विद्यालय विषय	
(क) हिन्दी	07 अंक
(ख) अंग्रेजी	07 अंक
(ग) गंणित	07 अंक
(घ) सामान्य विज्ञान	07 अंक
(ड.) सामाजिक अध्ययन	07 अंक
(v) शैक्षणिक रीति विज्ञान	
(क) हिन्दी	07 अंक
(ख) अंग्रेजी	07 अंक
(ग) गंणित	08 अंक
(घ) सामान्य विज्ञान	08 अंक
(ड.) सामाजिक अध्ययन	08 अंक
कुल योग–	200 अंक

विद्यालय विषयों की अन्तर्वस्तुओं का स्तर माध्यमिक स्तर का होगा।

(ख) द्वितीय स्तर कक्षा VI-VIII

प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय होगें और उनके सामने दर्शित अंकों के होंगे :–

(i) राजस्थान के विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएँ	20 अंक
(ii) राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान	20 अंक
(iii) शैक्षिक मनोविज्ञान	20 अंक
(iv) बाल मनोविज्ञान	20 अंक
(v) विद्यालय विषय (पाठ्य विवरण की अन्तर्वस्तु सैकेण्डरी स्तर की होगी)	120 अंक
कुल योग	200 अंक

प्रश्नपत्र के प्रश्नो का कठिनाई स्तर सीनियर सैकण्डरी स्तर का होगा।

नोट :– आवेदक द्वितीय स्तर कक्षा VI-VIII के विषय अध्यापक के लिये उसी विषय के लिये पात्र होगा, जो कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र में अर्हक विषय के रूप में अंकित है।

15. चयन का आधार :–

प्रथम स्तर कक्षा I-V एवं द्वितीय स्तर कक्षा VI-VIII के तृतीय श्रेणी अध्यापको की सीधी भर्ती के लिये जिला स्थापना समिति द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में प्राप्तांको के 20 प्रतिशत अंक तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांको में जोडकर उक्त प्रथम एवं द्वितीय स्तर के अध्यापकों की अलग–अलग वरियता सूची तैयार की जावेगी।

समान वरियता (Merit) प्राप्त करने वाले अर्थात दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान प्राप्तांक होने पर इन अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर वरियता निर्धारित की जावेगी। जन्मतिथि तथा प्राप्तांक समान होने पर अभ्यर्थी की उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरियता निर्धारित की जावेगी। उच्च शैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथि समान होने की स्थिति में अभ्यर्थी की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर वरियता निर्धारित की जावेगी। उपरोक्त समस्त परिस्थितियां समान होने पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण किये गये वर्ष के आधार पर वरियता निर्धारित की जावेगी।

16. आवेदन कैसे करे :–

(i) अभ्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व निम्नानुसार तैयारी रखें।

(अ) आवेदक अपनी पासपोर्ट आकार की नवीनतम रंगीन फोटो जे.पी.ई.जी. (अधिकतम 100 के.बी) की स्केन करें।

(ब) स्केन की गई नई रंगीन फोटो जे.पी.ई.जी. को अपलोड करें।

(स) आवेदक अपने हस्ताक्षर (अधिकतम 100 के.बी.) स्केन कर अपलोड करें।

(द) आवेदक वेबसाइट www.examtgt.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करने के लिये उपलब्ध दिशा–निर्देशों का सावधानी से अवलोकन करें।

(य) आवेदन पत्र प्राप्ति– तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र कार्यालय की वेबसाईट www.examtgt.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(र) ऑनलाईन आवेदन करनाः– ऑनलाईन आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों की ऑन लाईन सही पूर्ति करें। आवेदक को उसके द्वारा दिये गये ई–मेल आई.डी / मोबाईल नं. पर संदेश (एस एम एस) द्वारा आवंटित रोल नं. व परीक्षा केन्द्र की सूचना दी जायेगी। ***अतः आवेदक अपना मोबाईल नं0 / ईमेल आई.डी अनिवार्य रूप से अंकित करें।***

(ii) आवेदक राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जनसुविधा केन्द्र (C.S.C.) परं परीक्षा शुल्क जमा करावे। ध्यान रखें कि मनीआर्डर / डी.डी. / नकद द्वारा भेजा गया शुल्क अमान्य होगा।

(iii) अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

17. प्रमाण पत्रो का सत्यापनः–

लिखित परीक्षा के प्राप्तांको में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्राप्तांको के 20 प्रतिशत अंक जोडकर तैयार की गई वरियता के अनुसार सफल अभ्यर्थियों से जिला परिषद द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र भरवाया जावेगा, जिसके साथ अभ्यर्थी द्वारा आनलाईन आवेदन के समय घोषित शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक अर्हताओं एवं वर्ग विशेष (अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. / वि.पि.व. / निःशक्तजन) से संबंधित प्रमाण पत्रो की सत्यापित प्रतिलिपियां संलग्न करनी होगी। वर्ग विशेष(अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. / वि.पि.व. / निःशक्तजन) का लाभ निम्न स्थिति में ही देय होगाः–

(अ) जाति प्रमाण पत्र, जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है।

(ब) पिछडा वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमिलेयर / नान क्रीमिलेयर की प्रविष्टियां सही सही एवं पूर्ण भरी गई हो।

(स) अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पि.व. / वि.पि.व / निःशक्त जन का प्रमाण पत्र ऑनलाईन एपलीकेशन फार्म में प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिये, अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुये प्रमाण पत्रो के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जावेगा। राजस्थान राज्य के पिछडा वर्ग / विशेष पिछडा वर्ग के क्रीमिलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को आनलाईन आवेदन पत्र पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करना होगा। पिछडा वर्ग / विशेष पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र जो नियमानुसार पिता / माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा। पिछडा वर्ग / विशेष पिछडा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को नियमानुसार पिता / माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसे आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा। पति के आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(द) अ.जा./अ.ज.जा की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है।

(य) निःशक्तजन का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र जिसमें निःशक्तजन की चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो, जो कि आनलाईन एप्लीकेशन फार्म की प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक का जारी किया हुआ होना चाहिये।

18. अन्य

(1.) आवेदको द्वारा ऑनलाईन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही इस परीक्षा में सम्मिलित होने की प्रोविजनल रूप से अनुमति प्रदान की जावेगी तथा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो की वैधता की जांच नहीं की गई है, अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा।

(2). शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.05.06 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(3). किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।

(4). जिला परिषद द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर सकते।

(5). सभी आवेदक चाहे वे पहले से राजकीय सेवा में हो, या राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में हो, या किसी प्रकार के अन्य संगठनो में हो, या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, उन्हे नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा/उक्त उपक्रमो में कार्यरत है, उन्हे अपने नियोक्ता को इस परीक्षा में सम्मिलित होने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेना चाहिये।

19. कृपया ध्यान देवें:–

(1) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 4.9.2013 रात्रिं 12.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। परन्तु आवेदक अपना परीक्षा शुल्क अंतिम तिथि से दो दिन पूर्व अर्थात दिनांक 2.9.2013 को सायं 6 बजे तक ही जमा करा सकेगें। दिनांक 4.9.2013 को रात्रि 12.00 बजे के पश्चात उक्त वेवसाईट पर उपलब्ध ऑनलाईन सिस्टम स्वतः ही बन्द हो जायेगा। ऑनलाईन आवेदन की समस्त प्रविष्टियॉ पूर्ण एवं सही नही होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा। ऑन लाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के लिए जिम्मेदारी आवेदक की होगी। आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में अन्तिम दिनांक के बाद किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नही दी जायेगी और ना ही इस बाबत प्रस्तुत किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जायेगा। ऑन लाईन के उपरान्त उस आवेदन पत्र के क्रम मे आवेदित पद एवं आवेदित श्रेणी मे संशोधन किसी भी स्थिति में अनुज्ञेय नही है।

(2) आवेदक को हिदायत दी जाती है कि ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व जिला परिषद के विज्ञापन एवं ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देशों के साथ–साथ संबंधित सेवा नियमों का भली प्रकार अध्ययन कर लेवें।

(3) जिला परिषद द्वारा परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की गाईड बुक आदि का अनुमोदन नहीं किया गया है।

(4) सामान्यतः सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न–उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का सरक्षंण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 में वर्णित ऐसे निःशक्त व्यक्ति, जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नो के उत्तर लिखने में असमर्थ है, उन्हे जिला परिषद कार्यालय को परीक्षा दिनांक से 7 दिन पूर्व प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करने पर जिला परिषद द्वारा श्रुति लेखक की सुविधा देय होगी, परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुये अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी।

(5) **अनुचित साधनो की रोकथाम :** परीक्षार्थियो को जिला परिषद/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/परीक्षा नियन्त्रक (जिला कलक्टर) द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशो को अनिवार्यतः पालन करना होगा। ऐसा ना करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनो का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्व जिला परिषद /केन्द्राधीक्षक नियमानुसार कार्यवाही करेंगे तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

(6) परीक्षार्थी परीक्षा के प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के संबंध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात 72 घण्टो (तीन दिवस) के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को प्रस्तुत कर दे। नियत समय पर प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर जिला परिषद द्वारा यथोचित कार्यवाही की जावेगी। तीन दिवस के पश्चात प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनो पर जिला परिषद द्वारा किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

(7) कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाईल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आयेंगे। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा उपयोग के लिये आवश्यक जैसे पैन, पेन्सिल, प्रवेश पत्र या निर्देशित सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाईल व अन्य अनावश्यक वस्तुये साथ लाता है, तो उन्हे जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक/जिला परिषद किसी की भी नहीं होगी।

(8) जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां मोबाईल फोन, पेजर्स या अन्य कोई संचार यन्त्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशो का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित परीक्षार्थी के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

(9) इस सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की सम्पूर्ण जानकारी वेबसाईट www.examtgt.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

अतिरिक्त परीक्षा नियन्त्रक
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद ....

क0सं0	जिला	विज्ञापन कमांक एवं दिनांक	पद		कुल
			प्रथम लेवल	द्वितीय लेवल	
1	अजमेर	जिपअ / संस्था / तृ0 श्रे0 अध्यापक भर्ती / 2013 / 11.8.13	229	100	329
2	अलवर	जिपअ / तृ0श्रे0 अध्यापक सीधी भर्ती / 2013 / 11.8.13	665	253	918
3	बांसवाडा	एफ( )जिपबांस / स्थापना / 2013–14 / 1710 दिनांक11.8.13	368	100	468
4	बारां	जिपबा / पंराप्राशि / तृ0 श्रे0 अध्यापक / सीधी भर्ती / 2013 / 4821–22 / दिनांक11.8.13	218	291	509
5	बाडमेर	6131 दिनांक 12.8.13	536	1160	1696
6	भरतपुर	जिपभ / तृ0श्रे0अ0सी0भ0प्र0 / 2013 / 901–02 दिनांक 12.8.13	451	100	551
7	भीलवाडा	जिपभी / स्थापना / तृ0श्रे0अ0सी0भ0प्र0 प0 / 2013 / 4477 / दिनांक 11.8.2013	536	273	809
8	बीकानेर	जिपबी / संस्था / तृ.श्रे.अ. भर्ती / 2013 / 1066–68दिनांक 11.8.13	437	439	876
9	बूंदी	जिपबू / स्थापना / तृ.श्रे.अ.नि. / 2013 / 4676 / दिनांक 11.8.2013	277	103	380
10	चित्तौडगढ	जिपचि / संस्था / शिक्षक भर्ती / 2013–14 / 641दिनांक 11.8.2013	239	100	339
11	चूरू	जिप / चूरू / तृ.श्रे.अ.सी.भ.प. / 2013 / 3793–96 / दिनांक 11.8.13	331	162	493
12	दौसा	5295–5300 दिनांक 12.8.2013	274	111	385
13	धौलपुर	682–683 दिनांक 11.8.2013	390	665	1055
14	डूंगरपुर	जिपडू / संस्थापन / अध्यापक भर्ती / 2013 / 213 / दिनांक 11.8.2013	289	100	389
15	हनुमानगढ	जिपह / स्था / तृ.श्रे.अ. / सीधी भर्ती / 2013 / 3890दिनांक 11.8.2013	200	144	344
16	जयपुर	जिपज / तृ.श्रे.शिक्षक भर्ती / 2013 / 3470दिनांक 11.8.2013	489	464	953
17	जैसलमेर	जिपज / जि.स्था समिति / तृ.श्रे.अ.सी.भ.प्र.प. / 2013 / 10091 / दिनांक 11.8.2013	229	195	424
18	जालौर	जिपजा / संस्था / शिभ / 2013 / 310 / दिनांक 11.8.2013	407	355	762
19	झालावाड	एफ जिपझा / तृ.श्रे.अ.सी.भ.प्र.प. / 2013 / II / 709 दिनांक 11.8.2013	194	230	424
20	झुंझुंनू	जिप / झुं. / शिक्षक भर्ती–13 / 7729–7734 दिनांक 12.8.013	100	100	200
21	जोधपुर	जिपजो / संस्था / तृ.श्रे.अ.भ.परीक्षा 2013 / 7435 / दिनांक11.8.2013	800	1317	2117

22	करौली	जिपक / संस्था / तृ.श्रे.अ.शिक्षक भर्ती / 2013 / 920 / दिनांक 11.8.2013	306	100	406
23	कोटा	शिक्षा / 13 / 524–525दिनांक11.8.2013	183	100	283
24	नागौर	जिपना / संस्था / 2013 / 8229दिनांक11.8. 2013	424	416	840
25	पाली	248 दिनांक11.8.2013	138	255	393
26	प्रतापगढ	80–82 दिनांक 11.8.013	230	124	354
27	राजसमन्द	2326 / दिनांक 11.8.2013	249	221	470
28	सवाईमाधोपुर	जिप / तृ.श्रे.अ.भर्ती 2013 / स.मा. / 650–657दिनांक11.8.13	133	125	258
29	सीकर	जिपसी / संस्था / एफ–315 / तृ.श्रे.अ.परीक्षा 2013 / 1344 / दिनांक 11.8.2013	145	100	245
30	सिरोही	जिपसि / संस्थापन / तृ.श्रे.अ. / 2013 / 579दिनांक11.8.2013	118	115	233
31	श्रीगंगानगर	जिपगं / स्था. / तृ.श्रे.अ. / सी.भ. / 2013दिनांक 11.8.13	313	222	535
32	टोंक	एफ ()जिपटो / स्था / अध्या0भर्ती / 2013 / 4263 दिनांक 12.8.013	175	171	346
33	उदयपुर	जिपउ / संस्था / तृ.श्रे.अ.भ. परीक्षा / 2013 / 2949 / दिनांक 11.8.2013	927	289	1216